<u>महत्त्वपूर्ण सूचना</u>

<u>केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)</u>

<u>विज्ञापन संख्या–01/2012</u>

केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा बिहार राज्य में वर्ष 2012 में सिपाही पद पर वर्तमान रिक्तियों (7606) के विरूद्ध जारी की गयी विज्ञापन संख्या–01/2012 के क्रम में दिनांक–09.12.2012 (रविवार) को अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जायेगी। परीक्षा लिये जाने के समय आदि विवरण निम्नांकित हैः

	परीक्षा अवधि (दो घंटे)	अभ्यर्थियों की रिर्पोटिंग टाईम
प्रथम पाली	10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्याह्न तक	09:00 बजे पूर्वाह्न
द्वितीय पाली	14:00 बजे अपराह्न से 16:00 बजे अपराह्न तक	13:00 बजे अपराह्न

अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण यह परीक्षा दो पालियों में करायी जा रही है । अतः यहाँ यह स्पष्ट किया जा रहा है कि **<u>दोनों पालियों में अलग–अलग अभ्यर्थी होंगे</u>** । प्रत्येक पाली में अभ्यर्थियों को एक प्रश्न–पत्र दिया जायेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे । इस प्रकार दोनों पालियों में अलग–अलग प्रश्न–पत्र दिये जायेंगे ।

अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र (Admit Card) डाक द्वारा नवम्बर–2012 के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में भेज दिया गया है । जिन अभ्यर्थियों को अब तक डाक से भेजा गया प्रवेश–पत्र प्राप्त नहीं हुआ हो, उन्हें सूचित किया जाता है कि **वे चयन पर्षद की वेबसाईट <u>www.csbc.bih.nic.in</u> पर log in कर, अपने आवेदन–पत्र की संख्या प्रविष्ट कर डुप्लीकेट प्रवेश–पत्र download कर, Print कर लें** । ऐसे अभ्यर्थी डुप्लीकेट प्रवेश–पत्र के साथ परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं । मूल प्रवेश–पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में वेबसाईट <u>www.csbc.bih.nic.in</u> से डुप्लीकेट प्रवेश–पत्र Print करना सबसे सुविधाजनक तरीका है, जिसका उपयोग सभी अभ्यर्थी आसानी से कर सकते हैं ।

विशेष परिस्थिति में, कुछ अभ्यर्थी जो किसी कारणवश वेबसाईट से डुप्लीकेट प्रवेश–पत्र download नहीं कर सके हैं, उनकी सुविधा के लिए 06.12.2012 से 08.12.2012 तक केन्द्रीय चयन पर्षद के बैक हार्डिंग रोड (सचिवालय हॉल्ट के निकट), पटना–800 001 स्थित कार्यालय से डुप्लीकेट प्रवेश–पत्र निर्गत करने की व्यवस्था की गयी है। **<u>ऐसे अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र की छाया प्रति, पावती रसीद एवं एक वैध फोटो युक्त पहचान–पत्र के साथ उक्त अवधि में चयन पर्षद के उपरोक्त कार्यालय में स्वयं उपस्थित हो कर एक आवेदन–पत्र देंगे जिसमें उनकी सिपाही भर्ती से संबंधित आवेदन–पत्र संख्या का उल्लेख होगा, तभी पूर्ण पहचान के उपरांत ही उन्हें डुप्लीकेट प्रवेश–पत्र निर्गत किया जायेगा ।</u>**

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने प्रवेश–पत्र को वे परीक्षा के बाद भी अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि बाद के चरणों में चयन पर्षद द्वारा इस की मांग की जायेगी ।

जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र पर किसी कारणवश फोटो न हो अथवा अस्पष्ट/धुंधली फोटो हो, वे परीक्षा के समय अपनी दो फोटो तथा एक वैध फोटो युक्त पहचान–पत्र वीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करें ।

सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ एक वैध फोटो पहचान–पत्र (जैसे–मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि) रखना अनिवार्य है, जिसे वीक्षक द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जायेगा ।

परररूपधारण व धोखाधड़ी, आई0पी0सी0 की धारा – 419, 468 तथा 471 के तहत दण्डनीय है, जिसमें 7 वर्ष की सजा अथवा अर्थ दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है । परीक्षा में किसी प्रकार का कदाचार करते हुए पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981, के अंतर्गत भी उचित कार्रवाई की जायेगी ।

यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि प्रथम पाली में, प्रथम पाली के परीक्षार्थी तथा द्वितीय पाली में, द्वितीय पाली के परीक्षार्थी अपने निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर सम्मिलित होंगे । यदि कोई अभ्यर्थी उनके लिए निर्धारित पाली अथवा परीक्षा केन्द्र से इतर किसी अन्य पाली अथवा परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देंगे तो उन्हें अयोग्य करार करते हुए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

(सचिव)
केन्द्रीय चयन पर्षद, बिहार, पटना ।